## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024 / 124 दायरा दिनांक : 22.07.2024

**उनवान**

1. राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
2. गिर्राज प्रसाद आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
3. लेखराज आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
4. बबलू आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
5. मुकेश आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
6. भंवरी बाई बेवा मूल चन्द जी, जाति धाकड़
7. हरीबल्लभ आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
8. रामचन्द्र आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
9. घनश्याम आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
   निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
10. कैलाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी जानकीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अमृतखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां
11. कमला बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी हुकम चन्द, जाति धाकड़, निवासी धाकड़ो का मोहल्ला सरोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
12. गायत्री बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभूलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बोथ, तहसील बारां, जिला बारां
13. कल्याणी बाई बेवा जगन्नाथ, जाति धाकड़, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक

.... अपीलांट

**बनाम**

1. त्रिलोक आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
2. बृजमोहन आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
3. बालचन्द आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
4. केलाबाई पुत्री रामप्रताप, जाति धाकड़
5. सुमित्रा बाई पुत्री रामप्रताप, जाति धाकड़
6. रामकन्या बाई बेवा रामप्रताप, जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना अकावदखुर्द जलसंसाधन वृत्त खंडिया, रोड़, झालावाड़
8. अधिशाषी अधिकारी महोदय, परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड, जिला झालावाड़
9. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारज जर्ये शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 09.06.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 807/दावा/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तारज, तहसील खानपुर की नई जमाबंदी संख्या 108 पुरानी 112 सम्वत 2021 से 2024 में दर्ज खसरा नं. 2160/655/715 तलाई वाला रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा किततार सोयम राजस्व कृषि भूमि जगन्नाथ, प्रभूलाल, बिरधा के हिस्सा 1/2 एवं रामप्रताप आत्मज देवलाल धाकड के हिस्सा 1/2 से शामलाती खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 का वाद अपीलांट के विरूद्ध डिकी कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही दावा डिकी कर दिया, जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पूर्वजों द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 के पूर्वजों को ग्राम तारज स्थित आराजी का बेचान नहीं किया और न कब्जा ही प्रदान किया गया। उक्त आराजी पर अपीलांट का पीढी दर पीढी आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसको अपीलांट द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने के बावजूद भी दावा वादीगण डिकी कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम तारज स्थित आराजी खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2160/655/715 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा के बाद सैटलमेंट नवीन खसरा नं. 915 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा पर अपीलांट ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सैटलमेंट विभाग द्वारा अपीलांट को सैटलमेंट द्वारा सैटलमेंट पर्चा दिया गया और अपीलांट का ही कब्जा मौके पर मानकर सैटलमेंट कार्य किया गया। रेस्पोडेंट का अपीलांट की आराजी से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहा है, किन्तु फिर भी अपीलांट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1963 का है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा वाद वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 56 वर्ष बाद रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया है जो अपने आप में सन्देह प्रकट करता है। इस कारण रेस्पोडेंट का वाद खारिज किये जाने योग्य होने के बाद भी डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट के गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लगायत 3 ने अपनी साक्ष्य में अपीलांट का कब्जा होना माना है किन्तु फिर भी तनकी नं. 1 का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही उक्त तनकी अपीलांट के विरूद्ध तय कर दी, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। उक्त तनकी में विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिय जाने का आधार प्रतिवादीगण के विरूद्ध मान लिया जो त्रुटिपूर्ण है, कारण कि उक्त विक्रय पत्र जब अपीलांट द्वारा आलेखित ही नहीं किया गया तो भला अपीलांट को उक्त विक्रय पत्र जो अपने आप में शून्य दस्तावेज है और किसी भी न्यायालय में चुनौती दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि तनकी नं. 5 कानूनी तनकी है तथा कानून में विक्रय पत्र निष्पादित होने से एक माह में भू राजस्व अधिनियम के तहत इंतकाल खुलवाये जाने का प्रावधान मौजूद है बाद समय पेनेल्टी दिये जाने के प्रावधान है। उक्त विधिक प्रावधानों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने घोषणा के लिये नियमों का प्रावधान नहीं होना मानकर दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काश्तकार जब चाहे जब न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर घोषणा करवा सके। उक्त विक्रय पत्र वास्तव में अपीलांट के पूर्वजों द्वारा करवाया गया होता व रेस्पोडेंट के पूर्वजों द्वारा अपने पक्ष में पंजीयन करवाया होता तो उक्त समय ही राजस्व रिकार्ड में केता का नाम दर्ज होता। इतने दिनों तक रेस्पोडेंट वादी चुपचाप नहीं बैठते किन्तु हाल ही में बन रहे डेम के मुआवजे को लेने के लिये असत्य तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद भी तनकी नं. 2 अपीलांट के विरूद्ध तय कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने व साक्ष्य से साबित नहीं करने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बावजूद भी वादीगण के पक्ष में तय कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उक्त आराजी अधिग्रहण कर ली गई है, तथा अधिग्रहण आराजी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा की गई है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान में होने के बावजूद भी दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वर्णित आराजी परवन बाध परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण कर ली गयी है तथा अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जिसके सम्बन्ध में आर.बी. ट्रेटर/जिला न्यायालय में रेफरेन्स के प्रावधान मौजूद है, उक्त प्रावधानों को दरकिनार कर दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट नं. 7 लगायत 10 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और कोई नोटिस ही रेस्पोडेंट को प्राप्त हुआ है और ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ है इस बाबत तनकी कायम किये बिना ही वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वादीगण का वाद विरूद्ध अपीलांट खारिज फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 6 का वाद अपीलांट के विरूद्ध डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन नहीं किया। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा रेस्पोडेंटगण के पूर्वजों को कभी भी ग्राम तारज स्थित आराजी का बेचान नहीं किया और ना ही वादग्रस्त आराजी का कब्जा दिया। रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1963 का है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा वाद वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 56 वर्ष बाद रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया है जो अपने आप में सन्देह प्रकट करता है। इस कारण रेस्पोडेंट का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 वे वाद प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त आराजी 12 बीघा 9 बिस्वा थी जिसमें 1/2 हिस्सा रामप्रताप के खाते थी जो वादीगण के पिता हैं और 1/2 हिस्सा जगन्नाथ, प्रभू व बिरधा के खाते की थी। जगन्नाथ प्रभू व बिरधा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने वादग्रस्त आराजी रामप्रताप को जर्ये पंजीकृत विक्रय पर दिनांक 20.03.1963 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया। प्रभू बिरधा ला औलाद फौत हो गये हैं। अपीलांट जगन्नाथ के वारिसान है। हमने 1/2 हिस्से हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दावा किया। अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खारिज करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। गवाह लेखराज डी.डब्ल्यू. 1 व घनश्याम डी.डब्ल्यू. 3 ने अपने बयान में 1963 से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा व विक्रय पत्र के आधार पर दावा डिक्री किया है। घोषणा के दावे की कोई मियाद नहीं होती है। पंजीयन अधिनियम 1949 के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निष्पादन करने की उपधारणा मानी गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(1) पेज 306, आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 1118 की नजीर उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2021–2024 प्रदर्श 1 ग्राम तारज, तहसील खानपुर के अनुसार खाता संख्या पुरानी 108 व नयी 112 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा आराजी जगन्नाथ, प्रभू बिरधा हिस्सा 1/2 बाट बराबर रामप्रताप बेटा देवलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1963 प्रदर्श 2 के अनुसार विवादित आराजी के सहखातेदार जगन्नाथ, बिरधीलाल व प्रभूलाल ने अपने हिस्से की 1/2 आराजी का बेचान रामप्रताप पुत्र देवलाल के पक्ष में करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित कर सबरजिस्ट्रार खानपुर के यहां पंजीबद्ध करवाया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम तारज, तहसील खानपुर प्रदर्श 3 के अनुसार विवादित आराजी के नये खसरा नम्बर 915 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा कायम हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वत 2072–2075 प्रदर्श 4 के अनुसार खसरा नं. 915 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा आराजी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण रामप्रताप के वारिसान द्वारा दिनांक 20.05.1963 को निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज 1/2 आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद दर्ज कर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 का नाम हटाकर वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित करते हुए विवादित आराजी के अधिग्रहण से प्राप्त मुआवजा राशि प्रतिवादीगण प्राप्त नहीं करें इस हेतु प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने तथा प्रतिवादी कम 14 व 15 को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पाबन्द किया जावे कि वह उक्त वर्णित भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 13 को अदा न करें यह अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री करते हुए ग्राम तारज की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के नया खाता संख्या 535 पुराना 501 के खसरा नं. 915 रकबा 12.08 बीघा में से प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण 1 लगायत 6 को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1963 प्रदर्श 2 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे निरस्त कराने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी में से प्रतिवादीगण के हिस्से की 1/2 आराजी पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए वादीगण को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र पर यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति है, तो प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

**दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

1. राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
2. गिर्राज प्रसाद आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
3. लेखराज आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
4. बबलू आत्मज मूल चन्द जी, जाति धाकड़
5. मुकेश आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
6. भंवरी बाई बेवा मूल चन्द जी, जाति धाकड़
7. हरीबल्लभ आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
8. रामचन्द्र आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
9. घनश्याम आत्मज जगन्नाथ, जाति धाकड़
   निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
10. कैलाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी जानकीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अमृतखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां
11. कमला बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी हुकम चन्द, जाति धाकड़, निवासी धाकड़ो का मोहल्ला सरोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
12. गायत्री बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभूलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बोथ, तहसील बारां, जिला बारां
13. कल्याणी बाई बेवा जगन्नाथ, जाति धाकड़, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक

**.....अपीलांट**

**बनाम**

1. त्रिलोक आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
2. बृजमोहन आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
3. बालचन्द आत्मज रामप्रताप जी, जाति धाकड़
4. केलाबाई पुत्री रामप्रताप, जाति धाकड़
5. सुमित्रा बाई पुत्री रामप्रताप, जाति धाकड़
6. रामकन्या बाई बेवा रामप्रताप, जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना अकावदखुर्द जलसंसाधन वृत्त खंडिया, रोड़, झालावाड़
8. अधिशाषी अधिकारी महोदय, परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड, जिला झालावाड़
9. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारज जर्ये शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

**... रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2024 / 124** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं **807 / दावा / 2019** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **06.06.2024**

## दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 05 सन् **2025**

हाजरी **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 से 6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2024 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **09** माह **06** सन् **2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा